

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्की 236/2016

पंजीयन दिनांक 21.07.2016

- (1). गोकल पिता मगना जाति मेघवाल निवासी नई आबादी कजोडपुरा, सावा पोस्ट सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांत

बनाम

- (1). नारायणीबाई पुत्री गंगा जाति चमार निवासी आन्तरी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

- (2). डालीबाई पुत्री गंगा पत्नी मोडा जाति चमार निवासी आंतरी हाल मुकाम धीरजी का खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

- (3). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

- (4). ज्ञानी बाई पत्नी भेरुलाल जाति चमार निवासी बनस्टी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोंडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 517/2010 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्की दिनांक 22.06.2015

- उपस्थित वक्त बहस-(1). सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांत  
(2). किशनलाल कुमावत- रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2  
(3). रेस्पोंडेन्ट संख्या 3- बावजूद सूचना अनुपस्थित  
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 3

प्रकरण संख्या-डिक्की 238/2016


पंजीयन दिनांक 21.07.2016

- (1). गोकल पिता मगना जाति मेघवाल निवासी नई आबादी कजोडपुरा, सावा पोस्ट सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांत

बनाम

- (1). नारायणीबाई पुत्री गंगा जाति चमार निवासी आन्तरी तहसील भदेसर

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

- जिला चित्तौड़गढ़।
- (2). डालीबाई पुत्री गंगा पत्नी मोडा जाति चमार निवासी आंतरी हाल मुकाम धीरजी का खेड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
- (3). राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।
- (4). ज्ञानी बाई पत्नी भेरूलाल जाति चमार निवासी बनस्टी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोंडेन्टगण


अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अंतिम निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 517/2010 अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.06.2016

- उपस्थित वक्त बहस-(1). सावन श्रीमाली-अधिवक्ता अपीलांत  
 (2). किशनलाल कुमावत- रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2  
 (3). रेस्पोंडेन्ट संख्या 3- बावजूद सूचना अनुपस्थित  
 (4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंड 3

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 209 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा आंतरी तहसील भदेसर की आराजी संख्या 54, 55, 56, 57, 58, कुल किता 5 कुल रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर दर्ज रेकॉर्ड हे। वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता गांगा के तीन वारिसान वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 पुत्री, अपीलांत प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र व रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 पुत्री है। उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात पूर्व मे वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पिता गांगा के नाम दर्ज थी, गांगा की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजीयात का नामान्तरण पटवारी से मिलकर अकेले स्वयं के नाम खुलवा लिया जबकि उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 1 व रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा निहित है। वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित स्वयं के 1/3 हक हिस्से की घोषणा कराने की अधिकारिणी है। अन्त मे उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात मे निहित वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण के हिस्से व काविज अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी मे पृथक-पृथक राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी

  
 राजस्थान अपील प्राधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह उक्त वर्णित विवादित पैतृक कृषि आराजीयात को दीगर को रहन, बय, नही करे एवं वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नहीं करे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत के तहत वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र साबित होना मानकर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर उक्त वर्णित विवादित आराजीयात मे वादिया का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 10.06.2016 को तहसीलदार भदेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने पृथक-पृथक अपीले इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 236/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 238/2016 दर्ज की गई।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री एक ही पत्रावली मे होकर दोनो अपीलों मे समान पक्षकार व समान विषयवस्तु होने से दोनो अपीलों मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों मे संलग्न की जावे।

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
जिल्ला इलाहाबाद (राज.)


अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट द्वारा स्वयं को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 22.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 10.06.2016 से प्रभावित होना बताकर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे प्रार्थी/ अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी से प्रभावित होना मानकर अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायाहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाति है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। वादपत्र मे सुनवाई के दौरान दिनांक 22.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 रामा का नाम विलोपित करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दौराने सुनवाई वादपत्र मे संशोधन कराया जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 ज्ञानीबाई को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप मे पक्षकार कायम किया गया एवं मूल वादपत्र से विपरीत कथन वादपत्र मे अंकित कर दिया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 1 ने रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया, उक्त कथन अर्थहीन है। उक्त संशोधित अनवान दिनांक 24.08.2012 को पेश हुआ, तत्पश्चात दिनांक 26.09.2012 को संशोधित वादपत्र पेश किया व दिनांक 22.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प नाहरगढ़ मे रखी गई जिसकी जानकारी अपीलांट को नही थी। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना उभय पक्षकारान की उपस्थिति व बिना किसी लिखित राजीनामे के वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति होना मानते हुए उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादिया रेस्पोंडेन्ट

  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने व वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जिसके साबिक आरजी संख्या 53, 54, 55, 56, 57 कुल किता 5 कुल रकबा 11 बिघा 13 बिस्वा जिसके नवीन भू-प्रबन्ध के पश्चात हाल आराजी संख्या 76, 77, 78 कूल किता 3 कुल रकबा 2.51 हैक्टेयर दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वर्तमान में अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 रामा पिता गांगा ने रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 झाजीबाई को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.2010 को विक्रय कर दी एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 339 दिनांक 27.06.2010 स्वीकृत होकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रेकॉर्ड हुई। उक्त कथशुदा आराजीयात पर रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 कथ दिनांक से काबिज काश्त चली आ रही थी कि, रेस्पोंडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वयं की कथशुदा, खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात को अपीलान्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.10.2012 को हस्तांतरित कर दिया। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 26.12.2012 स्वीकृत होकर अपीलान्ट की उक्त वर्णित कथशुदा आराजीयात राजस्व रेकॉर्ड में अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज हुई। अपीलान्ट उक्त वर्णित कथशुदा आराजीयात पर कथ दिनांक 30.10.2012 से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। फिर भी वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से मिथ्या व आधारहीन वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादिया द्वारा स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होना प्रमाणित नहीं करवाया है। अधीनस्थ विद्वान विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 04.03.2011 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया तत्पश्चात दिनांक 18.03.2011 को दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत हुआ, इस आवेदन की सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। प्रतिवादीगण की बिना जानकारी के ही दावा पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी सूचना प्रतिवादीगण को नहीं दी गई। दिनांक 24.06.2011 को प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी होने का आदेश हुआ। दिनांक 14.09.2012 तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई। दिनांक 26.09.2012 को बिना किसी आवेदन के बिना किसी जवाब के संशोधित वादपत्र पेश करने की आदेशिका लिखि गई, जिसमें संशोधित वादपत्र का कोई हवाला नहीं दिया गया।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी

दिनांक 22.01.2014 को उभय पक्षकारान को अनुपस्थित होना बताकर एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित करते हुए पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी की एकतरफा साक्ष्य लिखाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई जिसके लिये तारीख पेशी 14.05.2015 नियत थी। उभय पक्षकारान की बिना जानकारी व बिना सूचना दिये पत्रावली दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत में रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे व बिना सहमति के व अपीलान्त को बिना सुने वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त घोषित हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पृथक रूप से वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 10.06.2016 को तहसीलदार भदेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रक्रिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अन्तिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें स्वीकार योग्य हैं।

अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात जो कि रेस्पोंडेन्टगण संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात को वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है, जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होने से वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त घोषित हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पृथक रूप से वादिया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 10.06.2016 को तहसीलदार भदेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के


  
राजेश अमीन प्राधिकारी  
चितीइगढ़ (राज.)

7

अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं अंतिम निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादिया रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हस्तांतरित की गई। तत्पश्चात उक्त कृषि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र अपीलांट को हस्तांतरित की गई। इस प्रकार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से कय किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांट प्रभावित पक्षकार था परन्तु अपीलांट को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार कायम नहीं किये जाने से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे वादी की एकतरफा साक्ष्य लिवाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई जिसके लिये तारीख पेशी 14.05.2015 नियत थी। उभय पक्षकारान की बिना जानकारी व बिना सूचना दिये पत्रावली दिनांक 22.06.2015 को लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना किसी लिखित राजीनामे व बिना सहमति के व अपीलांट को बिना सुने वादिया रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादिया रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के 1/3 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त घोषित हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाकर पृथक रूप से वादिया रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की खातेदारी मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 10.06.2016 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प नाहरगढ़ मे रखी



  
राजस्थान अपील प्राधिकरण  
सितीइगढ़ (राज.)


स्वीकार बिना पक्षकारान की उपस्थिति व बिना किसी लिखित राजीनामे के सहयोगी न्यायाधीश भदेसर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयत के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री लोक अदालत की भावना के विपरीत होने व सिविल प्रकिया के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जाने योग्य होकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत दोनों अपील अपील क्रमांक डिक्री 236/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 238/2016 स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपीलांत की ओर से प्रस्तुत अपीले, अपील क्रमांक डिक्री 236/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 238/2016 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 517/2010 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार कायम किया जाकर, जवाबदावा लिया जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, साक्ष्य लिवायी जाकर, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए, गुणावगुण पर अजसरे, तनकीवार नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 06.10.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।



  
(हरिसिंह मीना)  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)  
चित्तौड़गढ़(राज0)